



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त, 2018-श्रावण 26, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम पूर्वजों के द्वारा अज्ञानतावश नरेश पाल लिखवा दिया गया था. जबकि मेरा नाम सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं पेनकार्ड, वोटकार्ड इत्यादि में मेरा नाम नरेश कुमार बघेल के नाम से अंकित है तथा मुझे नरेश कुमार बघेल के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं नरेश पाल एवं नरेश कुमार बघेल एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः मेरा सभी दस्तावेजों में नरेश पाल के स्थान पर मेरा नाम नरेश कुमार बघेल के नाम से पढ़ा, लिखा एवं अंकित किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों

पुराना नाम :

(नरेश पाल)

नया नाम :

(नरेश कुमार बघेल)

लक्ष्मी कॉलोनी, ए. बी. रोड,

गोल पहाड़िया, ग्वालियर.

(384-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुभाष जैन पिता शांतिलाल जी जैन, निवासी-81/3, यश नगर, मंदसौर का होकर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम दस्तावेजों में सुभाष कुमार धुप्या दर्ज है, किंतु मुझे सुभाष जैन के नाम से ही जाना-पहचाना जाता है तथा मेरी जाति जैन है, मैं अपना नाम सुभाष जैन रखना चाहता हूँ, इसलिये सर्व-साधारण को इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आज से मुझे सुभाष जैन के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

मेरे दस्तावेजों में भी मेरे नाम परिवर्तन के लिये मैं कार्यवाही कर रहा हूँ.

पुराना नाम :

(सुभाष कुमार धुप्या)

पिता-शांतिलाल जी धुप्या.

निवासी-81/3, यश नगर, मंदसौर.

(385-बी.)

नया नाम :

(सुभाष जैन)

पिता-श्री शांतिलाल जी जैन,

निवासी-81/3, यश नगर, मंदसौर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आई. सी. आई. सी. आई. लि. का सुरक्षा बाण्ड जनवरी 1999 बांडहोल्डर क्र. 5149-253 सर्टिफिकेट क्र. 11809, दिनांक 03 मार्च, 1999 में भूल व त्रुटिवश प्रणाली रावल लिखा गया है. जिसे बदलकर शुभांगी रावल कर लिया है. अतः उपरोक्त सुरक्षा बांड में मेरा नाम शुभांगी रावल पढ़ा जावे. सो विदित होवे.

पुराना नाम :

(प्रणाली रावल)

14, नानेवाड़ी, धार,

जिला धार (म.प्र.).

(386-बी.)

नया नाम :

(शुभांगी रावल)

14, नानेवाड़ी, धार,

जिला धार (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुब्बलक्ष्मी मालवीय पति श्री विष्णु प्रसाद मालवीय आयु-वयस्क, निवासी तुलिप 633, न्यू मिनाल रेसीडेन्सी, जे. के. रोड, भोपाल (म.प्र.) पूर्व में मेरा नाम सुमति मालवीय पति श्री विष्णु प्रसाद मालवीय था. मेरा नाम जहाँ कहीं भी सुमति मालवीया दर्ज है उसके स्थान पर श्रीमती सुब्बलक्ष्मी मालवीय पढ़ा-लिखा जावे.

पुराना नाम :

(सुमति मालवीया)

(387-बी.)

नया नाम :

(सुब्बलक्ष्मी मालवीय)

पति श्री विष्णु प्रसाद मालवीय.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर रेखा हार्डिया (REKHA HARDIYA) के स्थान पर पूर्वी मौर्य (PURVI MOURYA) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम पूर्वी मौर्य (PURVI MOURYA) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा. सो विदित होवें.

पुराना नाम :

(रेखा हार्डिया)

(388-बी.)

नया नाम :

(पूर्वी मौर्य)

48, पिपल्याराव, भोलाराम उस्ताद मार्ग,

इन्दौर (म.प्र.) 452001.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम त्रुटिवश रहीम खान दर्ज हो गया है जबकि मेरे कुछ दस्तावेजों में (राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड) में रहीस खान दर्ज है. अतः भविष्य में मुझे रहीस खान के नाम से जाना व पहचाना जावे व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

(रहीम खान)

(389-बी.)

नया नाम :

(रहीस खान)

पुत्र-श्री रफीक खान,

पता-बहोड़ापुर, मेवाली मोहल्ला,

लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, संचिता झुनझुनवाला पिता मधु सूदन अग्रवाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी 127, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) आज दिनांक जबलपुर में यह सूचित करती हूँ, मेरा नाम शादी पूर्व संचिता अग्रवाल था जो कि शादी के बाद संचिता झुनझुनवाला हो गया है. मेरे कुछ दस्तावेजों एवं शेर सर्टिफिकेट में मेरा नया नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है.

अतः इस आशय यह आम सूचना जबलपुर में प्रकाशित की जा रही है कि मेरे दस्तावेजों में एवं शेर सर्टिफिकेट में मेरा सही नाम संचिता झुनझुनवाला किया जावे.

पुराना नाम :

(संचिता अग्रवाल)

(390-बी.)

नया नाम :

(संचिता झुनझुनवाला)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम जैनेन्द्र कुमार नगरगढ़ पुत्र श्री तिलकचन्द नगरगढ़ था को परिवर्तित कर जैनेन्द्र डहरवाल पुत्र श्री तिलकचन्द डहरवाल कर लिया था. अतः सभी दस्तावेजों में मेरा नया नाम जैनेन्द्र डहरवाल पुत्र श्री तिलकचन्द डहरवाल ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(जैनेन्द्र कुमार नगरगढ़)

पुत्र-श्री तिलकचन्द नगरगढ़.

नया नाम :

(जैनेन्द्र डहरवाल)

पुत्र श्री तिलकचन्द डहरवाल,
वार्ड नं. 12, धरपीवाड़ा, नीलजी,
बालाघाट (म.प्र.).

(394-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा बचपन का बोलता नाम सौरभ है जबकि मेरा नाम मोहित आर्य पुत्र श्री कोमल चन्द है और मेरे सभी शैक्षणिक प्रपत्र, आधार कार्ड, बैंक की पास बुक इत्यादि में मेरा नाम मोहित आर्य लिखा हुआ है और मुझे मोहित आर्य के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है. सौरभ और मोहित आर्य एक ही व्यक्ति हैं. अतः मैं एल. आई. सी. पॉलिटी में मेरा नाम मोहित आर्य लिखा जाये एवं भविष्य में मुझे मोहित आर्य के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(सौरभ)

नया नाम :

(मोहित आर्य)

पुरानी रेशम मिल,

बिरला नगर, ग्वालियर.

(395-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती दीप्ति यादव सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह दिनांक 20-06-2001 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार श्री संजय यादव के साथ सम्पन्न हुआ था. विवाह के पूर्व मेरा नाम कु. दीप्ति शर्मा पुत्री श्री राधेश्याम शर्मा था, जो कि विवाह के पूर्व के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेज इत्यादि प्रपत्रों में दर्ज है. हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती दीप्ति यादव पति श्री संजय यादव हो गया है. वर्तमान में मैं इसी नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा हस्ताक्षर करती हूँ, भविष्य में भी मैं इसी नाम से अर्थात् श्रीमती दीप्ति यादव पति श्री संजय यादव के नाम से ही पहचानी जाऊँगी साथ ही मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शैक्षणिक प्रपत्रों इत्यादि में मेरा नाम श्रीमती दीप्ति यादव पति श्री संजय यादव अंकित किया जावे. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(कु. दीप्ति शर्मा)

पुत्री श्री राधेश्याम शर्मा.

नया नाम :

(दीप्ति यादव)

पति श्री संजय यादव,
24, यादव भवन, द्वारिकाधीश कॉलोनी,
थाटीपुर, ग्वालियर.

(396-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I, declare that after my divorce and remarriage in all the documents of my daughter her father's name should be named Deependra Rajak instead of Pankaj.

BINDHU,

W/o Deependra Rajak.

(397-B.)

CHANGE OF NAME

This is to inform publicly that, I Anirudh Singh S/o Ajay Singh Thakur, Resident of House No. 1732/7, Pansari Mohalla, Gorakhpur, Jabalpur, Madhya Pradesh, do hereby solemnly affirm and declare as under. I state that, in My Name was mistakenly written as 'Anirudh Singh' in my marksheet of Class 10th, 12th Board Examination, Pan Card and 'Anirudh Thakur' in the Bachelor of Engineering Marksheet,

other concern Documents, my name was mistakenly written as Anirudh Singh which is incorrect. My Correct Name is Anirudh Singh Thakur I am changing the name to 'Anirudh Singh Thakur' in my Educational Marksheets, service, government and other concern records.

Henceforth, from this date my Name Anirudh Singh Thakur should be, should be read, write and recorded in my educational Documents, Government Issued Identity Cards and all other documents in future.

Old Name:

(ANIRUDH SINGH)

(398-B.)

New Name :

(ANIRUDH SINGH THAKUR)

CHANGE OF NAME

I, declare that after my divorce and remarriage I am changing my Daughter's name from Aleena Pathak to Aleena Deep. Now her name will be Aleena Deep D/o Deependra Rajak for all Purposes.

BINDHU,

W/o Deependra Rajak.

(399-B.)

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बचपन का नाम निवि घई पुत्री श्री राजकुमार घई, माता श्रीमती संगीता घई था. मैं, बालिक हो चुकी हूँ. अतः मुझे वर्तमान में मेरे सभी दस्तावेजों में कु. अमीषा घई (AMISHA GHAI) पुत्री श्री राजकुमार घई के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(निवि घई)

नया नाम :

(कु. अमीषा घई)

पुत्री श्री राजकुमार घई,

निवासी-311, प्रमिला प्लाज, चौहान प्याऊ के पास,

थाटीपुर, ग्वालियर.

(405-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम काजोल केशवानी के स्थान पर मोनिका केशवानी पत्नी श्री संजय केशवानी नाम परिवर्तन हो चुका है. मैं समाज व परिवार में मोनिका केशवानी के नाम से जानी-पहचानी व पुकारी जाती हूँ. मेरे समस्त दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट आदि मोनिका केशवानी के नाम से ही हैं. अतः मुझे भविष्य में भी मोनिका केशवानी के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(काजोल केशवानी)

नया नाम :

(मोनिका केशवानी)

पत्नी श्री संजय केशवानी,

पता- E-22, विवेक विहार, जय विलास कंपाउण्ड,

लशकर, ग्वालियर.

(408-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित हो कि लालवानी इंडस्ट्रीज प्लाट नंबर 8 व 9 सेक्टर आई, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल 462023 फर्म का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 01/01/01/0556/15, दिनांक 25-02-2015 है. यह कि फर्म के तीन साझेदार में से वरिष्ठ साझेदार श्री नन्द लाल लालवानी पुत्र स्वर्गीय झामन दास लालवानी का निधन दिनांक 15 मार्च, 2018 को हो जाने के कारण अब शेष दो साझेदार हरीश लालवानी और पंकज लालवानी दोनों पुत्र स्वर्गीय रमेश लालवानी ही इस फर्म के साझेदार रहेंगे.

द्वारा—

आनंद इन्दूरकर,

(अधिवक्ता).

(391-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित हो कि लालवानी अर्थमूर्वर्स लालवानी कम्पाउण्ड हमीदिया रोड, भोपाल-462001 फर्म का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 01/01/01/0555/15, दिनांक 25 फरवरी, 2015 है। यह कि फर्म के तीन साझेदार में से वरिष्ठ साझेदार श्री नन्दलाल लालवानी पुत्र स्वर्गीय ज्ञामन दास लालवानी का निधन दिनांक 15 मार्च, 2018 को हो जाने के कारण अब शेष दो साझेदार हरीश लालवानी और पंकज लालवानी दोनों पुत्र स्वर्गीय रमेश लालवानी ही इस फर्म के साझेदार रहेंगे।

(392-बी.)

द्वारा—

आनंद इन्दूरकर,
(अधिवक्ता).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदारी फर्म मेसर्स भगवानदास शोभालाल जैन पंजीयन क्र. 215, दिनांक 09-01-1948 चमेली चौक सागर के भागीदार (1) सेठ मानकचंद जैन आत्मज स्व. श्री सेठ शोभालाल जी जैन, (2) सेठ प्रेमचंद जी जैन आत्मज स्व. श्री सेठ भगवानदास जी जैन, (3) सेठ प्रिंस कुमार जैन आत्मज सेठ नरेशचंद जैन, (4) सेठ विक्रमादित्य जैन आत्मज सेठ अशोक कुमार जैन, (5) सेठ पर्व कुमार जैन (अवयस्क) आत्मज सेठ प्रकाशचंद जैन ने अपने पिता विधिक एवं प्राकृतिक अभिभावक सेठ प्रकाशचंद जैन के माध्यम से उपरोक्त भागीदारी फर्म के व्यापार में हो रही गिरावट के कारण फर्म से पृथक् (Retire) होने की इच्छा अन्य भागीदारों के समक्ष की, जिसे अन्य 15 भागीदारों ने स्वीकार कर दिनांक 01-04-2017 को उक्त पांचों भागीदारों को फर्म से अलग किया गया। इस प्रकार फर्म में पूर्व से चले आ रहे 15 भागीदार कार्यरत हैं।

(393-बी.)

मेसर्स भगवानदास शोभालाल जैन,
अशोक कुमार जैन,
(भागीदार)
चमेली चौक, सागर.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स हाई टेक सिक्यूरिटी, आर. एण्ड आर आईल मिल बिल्डिंग, ललपुर रोड, ग्वारीघाट, जबलपुर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00296/12, दिनांक 29-12-2012 को पंजीकृत है। उक्त फर्म में शुरू में 1. श्री गौरव मनास पिता श्री रमेश चन्द मानस, 2. बिग्रेडियर विनोद कुमार कोसर पिता स्व. मदन लाल कोसर, 3. कैप्टन बी. के. दास पिता स्व. पी. पी. दास, 4. कैप्टन वी. के. सिंह पिता स्व. एस. एन. सिंह भागीदार थे। फर्म से दिनांक 24-03-2016 को उक्त भागीदार में से बिग्रेडियर विनोद कुमार कोसर अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये तथा उक्त दिनांक 24-03-2016 को ही कैप्टन वी. के. सिंह का आकस्मिक निधन होने से फर्म से पृथक् हो गये। फर्म में दिनांक 25-03-2016 को श्रीमती कमला देवी मनास पति श्री रमेश चन्द मनास फर्म में सम्मिलित हो गई हैं। दिनांक 11-04-2018 को कैप्टन बी. के. दास फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में दो भागीदार 1. श्री गौरव मनास पिता श्री रमेश चन्द मनास, 2. श्रीमती कमला देवी मनास पति श्री रमेश चन्द मनास हैं। अतः किसी फर्म/संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अन्दर फर्म के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

(400-बी.)

हाई टेक सिक्यूरिटी,
कमला देवी,
(भागीदार)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स भैरव मिनिरल्स एण्ड एसोसिएट जो कि भागीदारी फर्म है। जिसका फर्म पंजीयन क्र. 05/22/03/0163/18, पता-द्वितीय तल आई. डी. बी. आई. बैंक के ऊपर जान टावर कॉलेज, चौराहा, रीवा (म.प्र.) है यह कि फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुए फर्म के पार्टनर नं. 04 श्री अमर कुमार द्विवेदी, पार्टनर नं. 05 श्री राधेरमण द्विवेदी पार्टनर, नं. 07 श्री अनिल कुमार पाण्डेय दिनांक 09-07-2018 से अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् (सेवानिवृत्त) हो गये हैं। जिसका आज दिनांक से फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा एवं फर्म के नये भागीदार के रूप में पार्टनर नं. 05 श्री प्रसन्न मिश्रा पार्टनर नं. 06 श्रीमती अभिलाषा दुबे पार्टनर नं. 07 श्री रितेश कुमार मिश्रा, पार्टनर नं. 08 श्री अश्वनी मिश्रा, जिला रीवा (म.प्र.) दिनांक 09-07-2018 से फर्म के भागीदार के रूप में शामिल हो गये हैं। शेष भागीदार यथावत हैं।

अतः जिस किसी को फर्म अथवा सेवानिवृत्त भागीदार से संबंधित आपत्ति हो वो इस सूचना प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अंदर सूचित करें।

फर्म-मेसर्स भैरव मिनिरल्स एण्ड एसोसिएट,
रामाधार चौधरी,
(पार्टनर)

(401-बी.)

जान टॉवर कॉलेज चौराहा, रीवा (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ओम कान्स्ट्रक्शन कम्पनी जिसका फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 05/22/03/00088/09, पता हजारी चौक पाण्डेन टोला, जिला रीवा (म.प्र.) है। यह कि उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुये फर्म का प्रमुख स्थान-हजारी चौक पाण्डेन टोला, जिला रीवा (म.प्र.) दिनांक 08-08-2018 से स्थान परिवर्तन करते हुये फर्म का नवीन पता मकान नं. 43/228/5, ओम विला गोपाल नगर चिरहुला, रीवा (म.प्र.) हो गया है जो कि आज दिनांक से इस नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा एवं फर्म के पार्टनर नं. 02 श्री विजय कुमार मिश्रा पिता श्री रामानुज मिश्रा द्वारिका नगर, रीवा (म.प्र.) दिनांक 08-08-2018 से अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं जिनका अब फर्म की किसी भी गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं होगा।

अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें।

मेसर्स ओम कान्स्ट्रक्शन कम्पनी,
कृष्ण दास गुप्ता,
(पार्टनर)

(402-बी.)

ओम विला गोपाल नगर चिरहुला, रीवा (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स बी. के. ग्रुप फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 0097/2013, पता जनार्दनपुर हाउस सुन्दर नगर बोदा बाग नीम चौराहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) यह कि फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुये दिनांक 04-04-2018 से फर्म के पार्टनर नं. 02 श्री सतीश सिंह, पार्टनर नं. 03 श्री अनिल सिंह, पार्टनर नं. 04 श्री दिलीप शर्मा, पार्टनर नं. 05, श्री अंजनी लाल सोनी फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं जिनका फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा एवं फर्म के नये पार्टनर के रूप में श्री धीरेन्द्र सिंह पिता श्री प्रताप सिंह, पता-सुन्दर नगर नीम चौराहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) दिनांक 04-04-18 से फर्म में शामिल हो गये हैं। अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें।

मैसर्स बी. के. ग्रुप,
जितेन्द्र सिंह,
(पार्टनर)

पता-जनार्दनपुर हाउस सुन्दर नगर,
बोदा बाग नीम चौराहा, तहसील हुजूर,
जिला रीवा (म.प्र.).

(403-बी.)

आम सूचना

मैं, मेरे पक्षकार की ओर से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मैसर्स आर. एण्ड सी. फ्रेब्रीकेशन एण्ड इरेकशन वर्क, पता 11-सी, सेक्टर एफ, इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल में स्थित है, पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00176/11, दिनांक 23-07-2011 को फर्म के साझेदार दिनांक 04-07-2018 श्रीमती प्रेमलता राजपूत पत्नी श्री भरत सिंह राजपूत, पता नरेला शंकरा दुर्गा चौक, भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् (अलग) हो रही हैं। एवम् श्रीमती ज्योत्सना सक्सैना पत्नी श्री संजय सक्सैना, पता 33, सुरूचि नगर कोटरा-सुल्तानबाद, भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म में सम्मिलित हो रही हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

द्वारा—मैसर्स आर. एण्ड सी. फ्रेब्रीकेशन एण्ड इरेकशन वर्क,
संजय सक्सैना,
(भागीदार).

(406-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स शिवशंकर इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग फर्म का गठन दिनांक 01-04-2002 को प्रथम भागिता विलेख के द्वारा किया गया था. जिसका पंजीयन क्रमांक 05/49/01/00135/09 है. उक्त फर्म की संरचना में परिवर्तन दिनांक 25-09-2007 को द्वितीय भागिता विलेख के द्वारा परिवर्तन करते हुये फर्म के पार्टनर क्रमांक 05 श्रीमती कमला देवी की दिनांक 09-09-2007 को मृत्यु हो जाने के कारण भागिता विलेख में लिखित शर्तों के अनुसार फर्म में नये पार्टनर श्रीमती आरती शाह को पार्टनर क्रमांक 05 के रूप में दिनांक 25-09-2007 को शामिल किया गया एवं उक्त भागीदारी विलेख में दिनांक 25-07-2018 को पुनः परिवर्तन करते हुए पूर्व भागीदारी अभिलेख के संशोधित विलेख का निष्पादन करते हुए पार्टनर क्रमांक 03 श्री शिवशंकर साहू, पार्टनर क्रमांक 04 श्री दादू साहू फर्म की भागीदारी से दिनांक 25-07-2018 से अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं. अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करे.

मैसर्स शिवशंकर इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग,

मेवालाल साहू,

(पार्टनर)

(404-बी.)

पता-बैदुन, जिला सिंगरौली (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, एम. एस. जीतश्री एण्ड छाजेड़ कन्स्ट्रक्शन रजि. 07/37/01/00092/14, 24 त्रिवेणी रोड़, रतलाम (म.प्र.) की भागीदारी में परिवर्तन 12-07-2018 से हुआ है. आदित्य पिता कैलाश अग्रवाल इस भागीदारी फर्म से हट गए हैं, जिन्हें भागीदारी फर्म से पूरा भुगतान किया जा चुका है और उनका अब इस से कोई भी लेना-देना बांकी नहीं है, उनकी जगह आयुष पिता अखिलेश गुप्ता, निवासी 477, कस्तूरबा नगर गली नं. 7, इस भागीदारी फर्म से जुड़ रहे हैं. दिनांक 12-07-2018 से एम. एस. जीतश्री एण्ड छाजेड़ कन्स्ट्रक्शन में निम्न दो पार्टनर होंगे. लवीश पिता दिलीप छाजेड़ और आयुष पिता अखिलेश गुप्ता जिन्हें इस फर्म के कर्ता-धर्ता होंगे. सूचित हो.

फर्म—एम. एस. जीतश्री एण्ड छाजेड़ कन्स्ट्रक्शन,

लवीश छाजेड़,

(भागीदार)

(407-बी.)

24, त्रिवेणी रोड़, रतलाम (म.प्र.).

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 07 अगस्त, 2018

ई-निविदा सूचना

क्र. जी. बी./दो(34)2018/2149.—आईटी विभाग की वेबसाइट <https://mpeproc.gov.in> से कम्प्यूटर स्टेशनरी की सामग्री (तकनीकी विवरण अनुसार) मुद्रण कार्य हेतु जो इंडियन बैंक एसोसियेशन (I.B.A.) में गोपनीय कार्य हेतु जीवित पंजीकृत है से पेपर सहित मुद्रण, बंधन, परिवहन एवं अन्य कार्य की समस्त कर सहित दरें दिनांक 28-08-2018 अपराह्न 02.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं.

- ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकापी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 28-08-2018 को अपराह्न 03.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकापी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खेला जावेगा.
- किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी.

(921)

भोपाल, दिनांक 07 अगस्त, 2018

निविदा सूचना

क्र. जी. बी.5/(वी-1)2018-19.—आई.टी. विभाग की वेबसाइट <https://mpeproc.gov.in> शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर, रीवा की वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में एकत्रित कागज की रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटके के विक्रय हेतु ऑनलाईन ई-निविदा दिनांक 17-08-2018 को अपराह्न 12:00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती है.

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकापी एवं परिशिष्ट “अ” दस्तावेजों की फर्म द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित एवं निविदा शर्तों पर फर्म की पदमुद्रा अंकित कर सहमति हस्ताक्षर सहित दिनांक 17-08-2018 को की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन तकनीकी भाग दिनांक 17-08-2018 को अपराह्न 03.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकापी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खेला जावेगा।
 3. विज्ञप्ति तकनीकी विवरण एवं शर्तों को वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।
 4. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।
- नियंत्रक द्वारा नस्ती पर अनुमोदित.

विलास मंथनवार,
उप नियंत्रक,
वास्ते-नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(922)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, मन्दसौर, जिला मन्दसौर

प्र.क्र. /बी-113(1)2017-18.

नियम-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष.

चूँकि दाउदी बोहरा जमात, बुरहानी मोहल्ला मन्दसौर मध्यप्रदेश अध्यक्ष डॉ. सैय्यदना मुफद्दीन त.उ.शा. (सोल ट्रस्टी) कॉलोनी जिला मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 अगस्त 2018 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः मैं, एस.एल.शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 अगस्त 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम : दाउदी बोहरा जमात, बुरहानी मोहल्ला मन्दसौर म.प्र. अध्यक्ष डॉ. सैय्यदना मुफद्दीन त.उ.शा. (सोल ट्रस्टी) कॉलोनी जिला मन्दसौर.

सम्पत्ति का विवरण:

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : निरंक.

एस. एल. शाक्य,
अनुविभागीय अधिकारी.

(846)

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

प्र.क्र./0022/बी-113(1)/2017-18.

उज्जैन, दिनांक 18 जुलाई, 2018

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)]

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक श्री ब्रम्हचारी बीतरागानन्द सतगुरु स्वामी हरीहरानन्द सरस्वती द्वारा “उपनिषद् साधना लोक न्यास उज्जैन, पता-पालारोड़ गौघाट यंत्रमहल के पास जयसिंहपुरा उज्जैन”, तह. व जिला उज्जैन, ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21-08-2018 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती हूँ.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21-08-2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

लोक न्यास का नाम	:	“उपनिषद् साधना लोक न्यास उज्जैन”.
कार्यालय	:	पालारोड़ गौघाट यंत्रमहल के पास जयसिंहपुरा उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुभाषनगर बैंक के बचत खाता क्रमांक 29533090103153865 में जमा राशि रुपए 2100/-

अनिल बनवारिया,
पंजीयक.

(847)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र सरदारपुर, जिला धार

प्र.क्र.0003/बी-113/2017-18.

एतद् द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि, श्री अमीझरा पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ ट्रस्ट अमझेरा, जिला धार द्वारा म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अंतर्गत “ श्री अमीझरा पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ ट्रस्ट अमझेरा, तहसील सरदारपुरा, जिला धार” को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु प्रारूप क्रमांक 3 नियम 4(2) के तहत आवेदक श्री संचवी प्रकाशचन्द्र पिता केवलचन्द्र जैन निवासी अहमदाबाद, राजेशकुमार पिता पुखराज जैन, निवासी उज्जैन, रखबचन्द्र पिता इन्दरमल जैन, निवासी बडोद द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 की उपधारा-1 और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार उक्त ट्रस्ट के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो, वह व्यक्ति स्वयं या मार्फत

अभिभाषक के विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से पेशी दिनांक 14-09-2018 के भीतर मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. बाद मियाद समाप्ति के किसी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 03 अगस्त 2018 को मेरे न्यायालय तथा हस्ताक्षर मुद्रा से जारी की गई.

(919)

सत्य नारायण दर्शे,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नटेरन, जिला विदिशा

प्र.क्र. 01/बी-113/2017-18.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-(1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा 2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) देखिए]

आवेदक बाबूलाल पुत्र नवलसिंह नरवरिया अध्यक्ष श्री सिद्ध करुणा निधान गोशाला (ट्रस्ट) नटेरन तहसील नटेरन जिला विदिशा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति में पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास संपत्ति में हित रखता हो और या उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका की वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नटेरन लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 25 जून, 2018 को उक्त अधिनियम-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जाँच करता प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई भी न्यासधारी या कार्यवाही न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का वर्णन)

लोक न्यास का नाम और पता	:	“श्री सिद्ध करुणा निधान गोशाला न्यास”.
कार्यालय	:	नटेरन तहसील, नटेरन जिला विदिशा (म.प्र.)
चल सम्पत्ति	:	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा नटेरन में जमा राशि खाता क्रमांक 175001233416 में जमा राशि.
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम चमराहा स्थिति भूमि 3/2/1, 3/5/1, 130/1, 109/1 रकबा 2.659 नटेरन-0.418 हेक्टर भूमि.

(920)

मकसूद अहमद,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 18 जुलाई, 2018

क्र./स्था./2018/333.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाया गया बीट हेमर जो इस कार्यालय के द्वारा परिक्षेत्र शाहपुर के बीट जम्बुपानी हेतु प्रदाय किया गया था. उक्त बीट हेमर श्री योगेश महाजन, वनरक्षक के प्रभार में था. वनपरिक्षेत्राधिकारी, शाहपुर ने अपने कार्यालय पत्र क्र./182, दिनांक 15-02-2017 द्वारा जंगल गश्त के दौरान बीट हेमर कहीं गुम होने बावत् सूचित किया. श्री योगेश महाजन, वनरक्षक द्वारा हेमर गुमने की रिपोर्ट पुलिस चौकी में की गई. हेमर आज दिनांक तक परिक्षेत्र कार्यालय और न ही पुलिस चौकी में जमा होना नहीं पाया गया.

अतः वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये जप्ती हेमर (बीट हेमर) “एस के-113” वनमण्डल बीट हेमर पंजी स्टॉक से अपलिखित किया जाता है. इस सूचना के फलस्वरूप कोई भी उक्त गुमशुदा जप्ती हेमर का अनाधिकृत रूप से रखने या उपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडित करने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

उक्त गुमशुदा बीट हेमर की वर्तमान बाजार दर कीमत 450 रुपये श्री योगेश महाजन, वनरक्षक से वसूल करने के आदेश जारी किये जाते हैं।

SK

113

(845)

सुधांशु यादव,
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 18 जुलाई, 2018

क्र.1374/परि./18.—ईंदिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, तहसील व जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्र. 818/1997, मन्दसौर, दिनांक 21 अगस्त, 1997 को इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./822/2017, दिनांक 17 अगस्त, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ की संस्था का निगम निकाय बॉडी कारपोरेट के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 18 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(912)

मन्दसौर, दिनांक 18 जुलाई, 2018

क्र.1375/परि./पुर्न./18.—बायो आग्रेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉ. आप. सहकारी समिति मर्या., मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-जे.आर.यू.जे.एन. 32, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1401, दिनांक 18-09-2008 एवं 870, दिनांक 14 अगस्त, 2012 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री व्ही. के. खेरिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

बायो आग्रेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉ. आप. सहकारी समिति मर्या., मन्दसौर के परिसमापक श्री व्ही. के. खेरिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई। संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित हैं। अतः मैं ओ. पी. गुप्ता, उप आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बायो आग्रेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉ. आप. सहकारी समिति मर्या., मन्दसौर को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1401, दिनांक 18 सितम्बर, 2008 एवं 870, दिनांक 14 अगस्त, 2012 को निरस्त करते हुये संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ तथा संस्था के आगामी कार्य संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी कमेटी आगामी 03 माह के लिए नामांकित की जाती है। कमेटी निम्नानुसार है:-

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. श्री शिवनारायण धाकड़ | अध्यक्ष |
| 2. श्री राजमल कुमावत | सदस्य |
| 3. श्री नन्दकिशोर पाटीदार | सदस्य |
| 4. श्री व्ही के खेरिया | सदस्य |

यह आदेश आज दिनांक 18 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(913)

ओ. पी. गुप्ता,
उप आयुक्त सहकारिता.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, बालराजे साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेशों के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर, संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	बालराजे साख सहकारी संस्था मर्या., 59/1, रामगंज जी. सी. इन्दौर.	224/05-09-2013	क्र./पंजी./18/212, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 19 जनवरी, 2018 को शासकीय वित्तीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

एम. एस. चौहान,

(848)

अंके. अधिकारी एवं समानुदेशिती, सहकारिता.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, माँ दुर्गा व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति पदभार ग्रहण की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर, संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	माँ दुर्गा व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-298, श्रीरामकृष्ण बाग कॉलोनी, वेलवोसिटी टॉकीज के पीछे, इन्दौर).	ए. आर./आय.डी.आर/2436, दिनांक 23-02-2010	क्र./पंजी./2018/180, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से ही मान्य होंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(849)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, सोनिया गांधी अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति पदभार ग्रहण की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख

दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर, संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	सोनिया गांधी अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-750, आजाद नगर, इन्दौर).	ए. आर./आय.डी.आर/1908, दिनांक 07-08-1998	क्र./पंजी./2018/222, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से ही मान्य होंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिनी की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार विधिअनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(850)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिनी, भारतीय प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिनी नियुक्ति पदभार ग्रहण की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर, संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	भारतीय प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-932, भागीरथपुरा, इन्दौर).	जे.आर./आय.डी.आर/177, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./2018/452, दिनांक 16-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से ही मान्य होंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिनी की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

संजय कुचनकर,

सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिनी,
सहकारिता.

(851)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिनी, सहकारी मुद्रणालय प्रकाशन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी

को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर, संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	सहकारी मुद्रणालय प्रकाशन सहकारी संस्था मर्या., 64, न्यू देवास, इन्दौर.	पंजी. क्र. 18, दिनांक 25-09-1959	क्र./पंजी./18/455, दिनांक 16-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(852)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, मालवा मिल क्षेत्र व्यापारियों की साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर, संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	मालवा मिल क्षेत्र व्यापारियों की साख सहकारी संस्था मर्या., 50, न्यू देवास रोड, इन्दौर.	पंजी. क्र. 1090, दिनांक 04-09-1991	क्र./पंजी./18/181, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(853)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, रिद्धी सिद्धी विनायक सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर, संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	रिद्धी सिद्धी विनायक सहकारी साख संस्था मर्या., न्यू राजाराम नगर, स्कीम नं. 51, के पास, इन्दौर.	पंजी. क्र. 2545, दिनांक 03-09-2012	क्र./पंजी./18/286, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिनी की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे।

के. के. जमरे,

(854)

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिनी, सहकारिता.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिनी, मानस सेवा साख सहकारी संस्था एवं

हरिजन कल्याण यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के सम्मुख दर्शित आदेशों के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर, संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिनी नियुक्त.
1.	मानस सेवा साख सहकारी संस्था मर्या., 91, बाणगंगा मेन रोड, इन्दौर.	डी.आर./आय. डी. आर./2376, दिनांक 05-06-2008	क्र./पंजी./18/187, दिनांक 19-01-2018
2.	हरिजन कल्याण यातायात सहकारी संस्था मर्या., 50, राज मोहल्ला, इन्दौर.	ए.आर./आय. डी. आर./545, दिनांक 06-08-1991	क्र./पंजी./18/451, दिनांक 16-02-2018

अतः उक्त आदेशों के पालन में उल्लेखित संस्थाओं के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर बगैर नहीं किये जावे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिनी अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे।

अजय कुमार पाठक,

सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिनी,

सहकारिता.

(855)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिनी, वेदमाता गायत्री साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर, संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिनी नियुक्त.
1.	वेदमाता गायत्री साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर गायत्री शक्ति पीठ रविन्द्र नगर, इन्दौर.	2405, दिनांक 03-07-2001	क्र./18/195, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के सम्बंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही

विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावें. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिनी की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(856)

जगदीश कुमार खीची,
अंके. अधि. एवं समानुदेशिनी, सहकारिता.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिनी, निर्मल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिनी नियुक्त.
1.	निर्मल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-340, नयापुरा, इन्दौर).	जे.आर./आय.डी.आर./56, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./18/278, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के सम्बंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावें. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिनी की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(857)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिनी, सत्यमित्र व्यापारिक सुरक्षा सेवा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिनी नियुक्त.
1.	सत्यमित्र व्यापारिक सुरक्षा सेवा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-244, प्रेम ट्रेड सेंटर, महारानी रोड, इन्दौर).	जे.आर./आय.डी.आर./2650, दिनांक 07-03-2014	क्र./पंजी./18/224, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिनी की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(858)

एस. एस. सिसौदिया,
उप. अंकेक्षक एवं समानुदेशिनी.

कार्यालय समानुदेशिती, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत समानुदेशिती नियुक्त कर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	पूर्वोत्तर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-19/2, मालती नगर सुखलिया, इन्दौर).	डी.आर./आय. डी. आर./1152, दिनांक 23-03-1993	क्र./पंजी./18/273, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा करता हूँ अतः उल्लेखित संस्थाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार इत्यादि मेरे हस्ताक्षर के बैगर नहीं किये जावे. मेरी बिना अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे. कृपया अवगत हों.

(859)

कार्यालय समानुदेशिती, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत समानुदेशिती नियुक्त कर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	इन्दौर कमर्शियल क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-सत्यमित्र अर्पाटमेन्ट, सपना संगीता रोड, इन्दौर).	ए.आर./आय.डी.आर./2353, दिनांक 01-02-2008	क्र./पंजी./18/312, दिनांक 01-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा करता हूँ अतः उल्लेखित संस्थाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार इत्यादि मेरे हस्ताक्षर के बैगर नहीं किये जावे. मेरी बिना अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे. कृपया अवगत हों.

(860)

मनोज शेल्के,

सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिती, सहकारिता.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, श्री काशीराम साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी

को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	श्री काशीराम साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-164, मूले टॉवर, शॉप नं. 23, इन्दौर).	जे. आर./आय.डी.आर./117, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./18/270, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से ही मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधिअनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(861)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, गुड वेल्थ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	गुड वेल्थ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-4, आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर).	ए.आर./आय.डी.आर./2542, दिनांक 21-06-2012	क्र./पंजी./18/310, दिनांक 01-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(862)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, प्रगतिशील साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	प्रगतिशील साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-एम. जी. रोड, इन्दौर).	ए.आर./आय.डी.आर./403, दिनांक 13-11-1972	क्र./पंजी./18/478, दिनांक 28-10-2017

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(863)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, सागर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निर्मांकित साख संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	सागर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-15/1, न्यू देवास रोड, इन्दौर).	ए.आर./आय.डी.आर./2024, दिनांक 13-02-2001	क्र./पंजी./18/196, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

विनोद वर्मा,

(864)

सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिती.

कार्यालय समानुदेशिती, सहकारिता जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निर्मांकित साख सहकारी संस्थाओं के सम्मुख दर्शित आदेशों के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	शशी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	डी.आर./आय.डी.आर./55, दिनांक 05-09-2013.	क्र./पंजी./18/201, दिनांक 19-01-2018.
2.	जय माँ अम्बे महिला सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	ए.आर./आय.डी.आर./2342, दिनांक 18 जुलाई, 2008	क्र./पंजी./18/297, दिनांक 30-01-2018.
3.	भारत माता सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	ए.आर./आय.डी.आर./240, दिनांक 05-09-2013.	क्र./पंजी./18/277, दिनांक 30-01-2018.

अतः उक्त आदेशों के पालन में उल्लेखित संस्थाओं के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्थाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

सुनील सक्सेना,उप अंकेक्षक एवं समानुदेशिती,
सहकारिता.

(865)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, श्री सूर्यवंशी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	श्री सूर्यवंशी साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर 466/19, समाजवादी नगर, इन्दौर	DR/IDR/70, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./2018/264, इन्दौर, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(866)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, बाबा रामदेव साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	बाबा रामदेव श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	DR/IDR/1136, इन्दौर, दिनांक 22-04-1992	क्र./पंजी./2018/210, इन्दौर, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(867)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, भविष्य साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी

को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	भविष्य साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर 2697, यादव मौहल्ला, इन्दौर.	DR/IDR/2515, दिनांक 16-11-1911	क्र./पंजी./2018/303, इन्दौर, दिनांक 01-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक.....को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

बी. एस. भूरिया,

(910)

अंकेशन अधिकारी एवं समानुदेशिती, सहकारिता.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, श्री सर्वोदय सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	श्री सर्वोदय सहकारी साख संस्था मर्या., 460, एल. आय. जी. कॉलोनी, स्कीम नं. 1, इन्दौर.	ए.आर./आय.डी.आर./2402, दिनांक 04-06-2009	क्र./गृह विधि/18/265, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(868)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, चित्रगुप्त सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	चित्रगुप्त सहकारी साख संस्था मर्या., 865, कृष्णा बाग कॉलोनी, इन्दौर.	ए.आर./आय.डी.आर./2489, दिनांक 10-02-2011	क्र./गृह विधि/18/204, दिनांक 01-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(869)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, बरखा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	बरखा साख सहकारी संस्था मर्या., 45, बैकुण्ठ धाम फ्लेट नं. 201, रिगल टॉवर, इन्दौर.	ए.आर./आय.डी.आर./126, दिनांक 24-06-2003	क्र./गृह विधि/18/209, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

एम. एल. सुलिया,

(870)

अंकक्षेप अधिकारी एवं समानुदेशिती, सहकारिता.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, यशस्विनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	यशस्विनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-400, लोकमान्य नगर, इन्दौर.	जे.आर./आय.डी.आर./64, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./18/192, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावें. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(871)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, धनश्री साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	धनश्री साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-6, कानूनगो बाखल, इन्दौर.	ए.आर./आय.डी.आर./1125, दिनांक 16-12-1991	क्र./पंजी./18/306, दिनांक 01-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(872)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, श्री सियागंज साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	श्री सियागंज साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-20,) वेयर हाऊस रोड, इन्दौर.	जे.आर./आय.डी.आर./49, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./18/267, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

संतोष जोशी,

(873)

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिती.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, कमदगिर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति पदभार ग्रहण की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख

दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	कमदगिर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-37, खातीपुरा मेनरोड, इन्दौर.)	जे.आर./आय.डी.आर./199, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./2018/217, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से ही मान्य होंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिनी की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार विधि अनुकुल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(874)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिनी, साहिल यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिनी नियुक्ति पदभार ग्रहण की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	साहिल यातायात साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-220, आदर्श नगर, इन्दौर.)	ए.आर./आय.डी.आर./556, दिनांक 17-04-1993	क्र./पंजी./18/445, दिनांक 16-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से ही मान्य होंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिनी की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार विधि अनुकुल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(875)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिनी, ऊँ श्री महाकालेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिनी नियुक्ति पदभार ग्रहण की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी

को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	ऊ श्री महाकालेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-234/4, नेहरू नगर, इन्दौर.)	ए.आर./आय.डी.आर./2377, दिनांक 06-06-2008	क्र./पंजी./18/183, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से ही मान्य होंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(876) प्रवीण नासेरी,
सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिती.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, मालवा शक्कर कारखाना साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	मालवा सहकारी शक्कर कारखाना स्टॉफ सहकारी साख संस्था मर्या. बरलई (पंजीकृत पता-मालवा सहकारी शक्कर कारखाना बरलई, तहसील सावेर)	ए.आर./आय.डी.आर./621, दिनांक 22-12-1981	क्र./पंजी./18/215, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(877)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, विकास यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	विकास यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-138/3, नेहरू नगर, इन्दौर)	ए.आर./आय.डी.आर./559, दिनांक 03-02-1992	क्र./पंजी./18/447, दिनांक 16-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकुल न होकर प्रभाव शून्य होंगे।

(878)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, नीलकण्ठेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	नीलकण्ठेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-308 बजरंग नगर, इन्दौर)	जे.आर./आय.डी.आर./275, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./18/185, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकुल न होकर प्रभाव शून्य होंगे।

(879)

एच.एस.तिवारी,
सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिती.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, युनियन मर्केन्टाईल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	युनियन मर्केन्टाईल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-148, बी.जी. स्कीम नं. 74, इन्दौर.)	जे.आर./आय.डी.आर./45, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./18/191, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकुल न होकर प्रभाव शून्य होंगे।

(880)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, इन्दौर व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	इन्दौर व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्या, इन्दौर (पंजीकृत पता-187/3, नंदानगर, इन्दौर.)	जे.आर./आय.डी.आर./86, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./18/208, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.
(881)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, श्री सदगुरु साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	श्री सदगुरु साख सहकारी संस्था मर्या, इन्दौर (पंजीकृत पता-बी.एच. 16, सुखलिया, इन्दौर.)	जे.आर./आय.डी.आर./282, दिनांक 05-09-1992	क्र./पंजी./18/266, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.
(882)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, दि राजकुमार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1)

के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिनी नियुक्त.
1.	दि राजकुमार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-राजकुमार मिल, प्रांगण, इन्दौर)	0549/दिनांक 23-08-1982	क्र./पंजी./18/305, दिनांक 01-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिनी की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकुल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

सतीश खण्डेवाल,

(883)

सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिनी.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिनी, बालकृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिनी नियुक्त.
1.	बालकृष्ण साख सह. संस्था मर्या., पता-370, राजनगर सेक्टर-ई, इन्दौर	जे.आर./आय.डी.आर./153, दिनांक 05-09-2013	क्र./गृह विधि/18/211, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिनी की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(884)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिनी, भोलेनाथ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिनी नियुक्त.
1.	भोलेनाथ साख सहकारी संस्था मर्या., पता- 47, साहू नगर एरोडम रोड, इन्दौर.	ए.आर./आय.डी.आर./2103. दिनांक 17-01-2003	क्र./गृह विधि/18/301, दिनांक 01-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे।

(885)

एस. एल. वास्केल,
अंकेक्षण अधिकारी एवं समानुदेशिती.

कार्यालय समानुदेशिती, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	सुखलिया साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	डी.आर./आय.डी.आर./169. दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी/18/266, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे।

(886)

सुरेश भण्डारी,
उप अंकेक्षण अधिकारी एवं समानुदेशिती.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, जोबनेर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	जोबनेर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-171 ए, अभिनंदन नगर, इन्दौर)	ए.आर./आय.डी.आर./2284, दिनांक 13-12-2006	क्र./पंजी./18/170, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकुल न होकर प्रभाव शून्य होंगे।

(887)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, सुखमणी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	सुखमणी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-8, जावरा, कम्पाउण्ड, इन्दौर).	डी.आर./आय.डी.आर./2701, दिनांक 22-04-2014	क्र./पंजी./18/227, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(888)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, विकास साख सहकारी संस्था, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	विकास साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-श्री के. बी. पटेल, गुजराती कन्या हा. से. स्कूल, महारानी रोड़, इन्दौर)	जे.आर./आय.एन.डी./265. दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./18/281, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(889)

विजय दिशोरिया,
उप अंकेशक एवं समानुदेशिती.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, शिव कृपा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी

को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	शिव कृपा सहकारी साख संस्था मर्या., 47, पटेल नगर, इन्दौर.	ए.आर./आय.डी.आर./72, दिनांक 05-09-1983	क्र./पंजी./18/283, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(890)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, स्वदेश मिल्स साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	स्वदेश मिल्स सहकारी साख संस्था मर्या., मिल प्रांगण, इन्दौर.	ए.आर./आय.डी.आर./690, दिनांक 23-09-1983	क्र./पंजी./18/230, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(891)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, मित्र सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (राऊ)

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	मित्र सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., रेल्वे स्टेशन रोड़, राऊ.	डी.आर./आय.डी.आर./1833, दिनांक 07-05-1997	क्र./पंजी./18/176, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिनी की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे।

बी.एल.मेहर,

(892)

अंकेक्षक अधिकारी एवं समानुदेशिनी.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिनी, सर्वोदय महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

प्रभार/समानुदेशिनी नियुक्ति की सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिनी नियुक्त.
1.	सर्वोदय महिला प्राथ. सह.उपभोक्ता, भण्डार मर्या. इन्दौर, पता- 20, पीर गली, कृष्णा पुरा, इन्दौर.	प.क्र./1609, दिनांक 28-07-1994	क्र./पंजी./18/231, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक.....को समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्त के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिनी की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे।

(893)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिनी, मां शारदा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

प्रभार/समानुदेशिनी नियुक्ति की सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिनी नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिनी नियुक्त.
1.	मां शारदा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, 230 RNT. मार्ग 13/4 दवा बाजार, इन्दौर.	1200, दिनांक 02-03-1994	क्र./गृह विधी./18/177, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिनी के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिनी की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे।

आनन्द खत्री,

(894)

वरिष्ठ सह. निरीक्षक एवं समानुदेशिनी.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, क्रिस्टल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	क्रिस्टल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर. (पंजीकृत पता-47, स्वदेश नगर, टॉवर चौराहा, इन्दौर)	जे.आर./आय.डी.आर./258, दिनांक 05-08-2013	क्र./पंजी./18/280, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(895)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, बाणगंगा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त
1.	बाणगंगा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, (पंजीकृत पता-99/1, बाणगंगा इन्दौर)	ए.आर./आय.डी.आर 2014, दिनांक 12-12-2000	क्र./पंजी./18/204, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(896)

एम. एम. श्रीवास्तव,
उप अंकेशक एवं समानुदेशिती.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, माँ बिजासन यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

प्रभार/समानुदेशिती नियुक्ति की सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1)

के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	माँ बिजासन यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर. (पंजीकृत पता-62, रावजी बाजार, इन्दौर)	पंजी क्रं 546, दिनांक 05-10-1991	क्र./पंजी./18/450, दिनांक 16-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(897)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, नवीन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	नवीन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर. (पंजीकृत पता-1083, भागीरथपुरा, इन्दौर)	ऐ.आर./आय.डी.आर./2074, दिनांक 22-04-2002	क्र./पंजी./18/189, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(898)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, श्री सार्थक साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	श्री सार्थक साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, (पंजीकृत पता-ए.एम.181, सुखलिया, इन्दौर)	जे.आर./आय.डी.आर. 289, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी/18/221, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे।

सविता भायरे,

सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिती.

(899)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, शहरी कामगार महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	शहरी कामगार महिला साख सहकारी, संस्था मर्या., 14-एम. साकेल नगर, इन्दौर.	पंजी.क्र. 2428, दिनांक 30-12-2009	क्र./गृह विधि/18/200, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावें। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे।

(900)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, जेमीनी महिला सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	जेमीनी महिला सहकारी साख संस्था मर्या., 218-मयूर नगर, इन्दौर	पंजी.क्र. 2395, दिनांक 18-02-2009	क्र./गृह विधि/18/315, दिनांक 01-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावें। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे।

(901)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, भारत उदय सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	भारत उदय सहकारी साख संस्था मर्या., 4-बी, नगीन नगर, इन्दौर	पंजी. क्र. 168, दिनांक 05-09-2013	क्र./गृह विधि/18/276, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

शैलेन्द्र कुमार महाजन,

उप-अंकेशक एवं समानुदेशिती.

(902)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, भारतीय महिला सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 02 जुलाई, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त
1.	भारतीय महिला सहकारी साख संस्था मर्या., 186-बी, संगम नगर, इन्दौर.	पंजी.क्र. 1968, दिनांक 04-01-2003	क्र./पंजी./18/299, दिनांक 01-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 02 जुलाई, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(903)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, श्री रामचन्द्र सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 02 जुलाई, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी

को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	श्री रामचन्द्र सहकारी साख संस्था मर्या., 210, क्लर्क कॉलोनी, इन्दौर	पंजी.क्र. 2657, दिनांक 07-03-2014	क्र./पंजी/2018/261, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 02 जुलाई, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(904)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, बालाजी मर्केन्टाईल सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 02 जुलाई, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	बालाजी मर्केन्टाईल सहकारी साख संस्था मर्या., 4, जिन्सी रोड, इन्दौर	2129/28-11-2003	क्र./पंजी/2018/220, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 02 जुलाई, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(905)

डी. एस. चौहान,

अंकेक्षण अधिकारी एवं समानुदेशिती.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, प्रियदर्शनी परिवहन सहकारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जुलाई, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	प्रियदर्शनी परिवहन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-8, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर)	डी.आर./आय.डी.आर 603, दिनांक 22-04-2014	क्र./पंजी/18/443, दिनांक 16-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकुल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(906)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, बैरवा गुरु श्री संत बालीनाथ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जुलाई, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	बैरवा गुरु श्री संत बालीनाथ साख सहकारी, संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-875, पंचम की फेल, इन्दौर	ए.आर./आय.डी.आर 2403, दिनांक 05-06-2009	क्र./पंजी/2018/219, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकुल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(907)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, श्री दुर्गा शक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 04 जुलाई, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	श्री दुर्गा शक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-265/7, गोविन्द कॉलोनी, किला मैदान रोड, इन्दौर)	डी.आर./आय.डी.आर./2668, दिनांक 07-03-2014	क्र./पंजी/2018/259, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 02 जुलाई, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों/जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकुल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(908)

के. एस. मण्डलोई,
अंकेक्षण अधिकारी एवं समानुदेशिती.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त, 2018-श्रावण 26 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है. तथा राज्य के मण्डला, सीहोर, छिंदवाडा जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 01 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील-सीहोर, इच्छावर (सीहोर), मण्डला (मण्डला), चौरई (छिंदवाडा) में उक्त मि.मी.के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. **जुताई.**— . .

3. **बोनी.**— जिला बालाघाट में कहीं-कहीं रबी,धान रोपाई चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— जिला डिंडोरी में तुअर जिला शिवनी में चना, मसूर जिला बुरहानपुर में गेहूँ चना एवं जिला अशोकनगर, सीधी, उज्जैन, शाजापुर, इन्दौर, राजगढ़, सीहोर व बैतूल में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

6. **सिंचाई.**— जिला शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, विदिशा, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **पशुओं की स्थिति.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **चारा.**— राज्य के जिला शिवपुरी में पशुओं के लिये चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **बीज.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना : 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, सरसों, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर : 1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मेंथी, मटर, मसूर, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड : 1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. गोरमी 8. मौ 9. रौन	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर : 1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मटर-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया : 1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, चना अधिक. गेहूँ, मटर, समान. सरसों, मटर, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. अपर्याप्त 6. संतोषप्रद चारा अपर्याप्त	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
1. शिवपुरी . . 2. पिछोर . . 3. खनियाधाना . . 4. नरवर . . 5. करैरा . . 6. कोलारस . . 7. पोहरी . . 8. बैराढ़ . . 9. बदरवास . .					
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, मसूर अधिक. चना, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली . . 2. ईसागढ़ . . 3. अशोकनगर . . 4. चन्देरी . . 5. नई सराय . . 6. पिपरई . . 7. शाढौरा . .					
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनियां, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना . . 2. राघोगढ़ . . 3. बमोरी . . 4. आरोन . . 5. चाचौड़ा . . 6. मकसूदनगढ़ . . 7. कुम्भराज . .					
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, मटर, राई-सरसों, गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी . . 2. पृथ्वीपुर . . 3. जतारा . . 4. टीकमगढ़ . . 5. बल्देवगढ़ . . 6. पलेरा . . 7. खरगापुर . . 8. मोहनगढ़ . . 9. लिधौरा . . 10. ओरछा . .					
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी . . 2. गौरीहार . . 3. नौगांव . . 4. छतरपुर . . 5. राजनगर . . 6. बिजावर . . 7. बड़ामल्हरा . . 8. महाराजपुर . . 9. लवकुश नगर . . 10. धुवारा . . 11. बक्सवाहा . . 12. चंदला . .					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, अलसी, मटर, बटरी, अधिक. गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, आलू कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ . . 2. पन्ना . . 3. गुन्नौर . . 4. पवई . . 5. रेपुरा . . 6. अमानगंज . . 7. देवेन्द्र नगर . . 8. सिमारिया . . 9. शाहनगर . .		. .	. . (1) गेहूँ, जौ, चना, अधिक. मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी कम. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, अधिक. मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी कम. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना . . 2. खुरई . . 3. बण्डा . . 4. सागर . . 5. रेहली . . 6. देवरी . . 7. गढ़ाकोटा . . 8. राहतगढ़ . . 9. कंसली . . 10. मालथोन . . 11. शाहगढ़ . .	. .	. .	3. . . 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों, अधिक. गेहूँ, मटर, अलसी, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों, अधिक. गेहूँ, मटर, अलसी, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा . . 2. बटियागढ़ . . 3. दमोह . . 4. पथरिया . . 5. जवेरा . . 6. तेन्दूखेड़ा . . 7. पटेरा . .		. .	3. . . 4. (1) तुअर, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, अलसी, जौ समान. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, अलसी, जौ समान. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर . . 2. मझगवां . . 3. रामपुर-बघेलान . . 4. नागौद . . 5. उचेहरा . . 6. अमरपाटन . . 7. रामनगर . . 8. मैहर . . 9. कोठर . . 10. बिरसिंहपुर . .		. .	3. . . 4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर, अधिक. गेहूँ, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर, अधिक. गेहूँ, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर . . 2. सिरमौर . . 3. मऊगंज . . 4. हनुमना . . 5. हजूर . . 6. गुढ़ . . 7. मनगवां . . 8. सेमरिया . . 9. जवा . . 10. नईगढ़ी . . 11. रायपुरकर्चुलियान . .	. .	. .	3. . . 4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर, अधिक. गेहूँ, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों, मसूर, अलसी, जौ, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर समान. तुअर, चना, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. चँदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू हैं.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, चना, जौ, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) गेहूँ सुधरी हुई. शेष फसलें समान.		
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.
1. जावद	..			4.(1) चना, मसूर, अधिक.	6. संतोषप्रद,
2. नीमच	..			राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.
3. सिंगौली	..			गेहूँ, मटर कम.	
4. जीरन	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4.(1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,
2. आलोट	..			सवां समान.	चारा पर्याप्त.
3. सैलाना	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	रबी फसल कटाई कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.
1. खाचरौद	..			4. (1) चना, मसूर, अधिक.	6. संतोषप्रद,
2. महिदपुर	..			गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.
3. तराना	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25.*जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..
1. बड़ौद	..			4. (1) ..	6. ..
2. सुसनेर	..			(2) ..	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	रबी फसल कटाई कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..			4.(1) चना-अधिक. गेहूँ, लहसुन	6. संतोषप्रद,
2. शाजापुर	..			प्याज कम.	चारा पर्याप्त.
3. शुजालपुर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4.(1) चना, मूँग, रबी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,
2. टोंकखुर्द	..			मटर, मसूर, अधिक.	चारा पर्याप्त.
3. देवास	..			गेहूँ कम है.	
4. बागली	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) चना, मक्का, अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोडवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
30.*जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) चना, अलसी अधिक, गेहूँ, राई-सरसों, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास, चना, अलसी अधिक. तुअर, गेहूँ, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) चना, मटर, अधिक. गेहूँ, तुअर कम. (2) गेहूँ एवं चना फसल समान है	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .				
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना का कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4.(1) गेहूँ, चना अधिक है. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .				
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .				
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक. (2) गेहूँ समान. चना फसल, सुधरी हुई है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .				
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्यांदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा मटर. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैरागड़	. .				
3. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	2.0		4. (1) गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आप्टा	. .				
3. इच्छावर	3.0				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलो का कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. चना की कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) गेहूँ चना, मटर अधिक. मसूर, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) गेहूँ, सुधरी हुई हैं.		
3. सीहोरा	. .		शेष फसलें बिगड़ी हुई हैं.		
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ समान. मसूर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) तुअर, गेहूँ, समान. चना, मसूर, राई-सरसों सुधरी, हुई हैं.		
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी).	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	. .				
2. गोटेगांव	. .		4.(1) मटर, मसूर, चना, अधिक. गेहूँ कम.		
3. करेली	. .		(2) . .		
4. गाडरवारा	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	0.7		4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ, मटर, तिवड़ा, राई-सरसों, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. बिछिया	. .				
4. निवास	. .				
5. नारायणगंज	. .				
6. घुघरी	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. तुअर कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4.(1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. बजाग	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक. (2) गेहूँ सुधरी हुई है चना, समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. तामिया	. .				
3. परासिया	. .				
4. जुन्नारदेव (जामई)	. .				
5. सांसर	. .				
6. बिछुआ	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	6.2				
9. उमरेठ	. .				
10. मोहखेड	. .				
11. हरई	. .				
12. चांद	. .				
13. पाहुणा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. चना, मसूर की कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .				
2. बरघाट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अधिक. मटर, मसूर, उड़द, रबी, मूँग, रबी समान. लाख कम.		
3. कुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. कवलारी	. .				
5. लखनादोन	. .				
6. छपारा	. .				
7. घनोरा	. .				
8. घंसोर	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4.(1) धान, रबी समान. (2) धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .				
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	. .				
5. वारासिवनी	. .				
6. कटंगी	. .				
7. लालबर्वा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				
11. खैरलांजी	. .				

टीप-जिला आगर, धार से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,

संयुक्त आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(844)